III नीतिगत परिवेश

दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर बैंकों को दिशानिर्देश जारी करने के संबंध में मिले सांविधिक अधिकार के तहत रिज़र्व बैंक ने दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए बने फ्रेमवर्क को मजबूत बनाया जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम था 2017-18 में जारी दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता। इसके साथ ही, वाणिज्यिक बैंकों की चलनिधि जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के समनुरूप किया गया। सहकारी बैंकों को स्वैच्छिक रूप से लघु वित्त बैंकों में परिवर्तन की अनुमति देने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों से उनकी संवृद्धि की अभूतपूर्व संभावनाएं प्रशस्त होने की आशा है। बैंकों के निगरानी फ्रेमवर्क को क्रमिक रूप में एक सीध में लाने के साथ ही, रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी स्वामित्व वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की विनियामकीय अपेक्षाओं को मजबूत किया गया।

1. परिचय

III.1 भारत में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के प्रयोजन से किए जा रहे नीति निर्धारण में बैंकिंग प्रणाली में बड़ी मात्रा में मौजूद दबावग्रस्त आस्तियों को दुरुस्त करने की नीति को सर्वाधिक महत्व दिया गया। इस संदर्भ में, रिज़र्व बैंक ने एक बहु-आयामी रणनीति अपनायी है, जिसमें अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की पहचान, प्रावधानीकरण और समाधान की प्रक्रिया शामिल है। एक समष्टिगत आर्थिक स्थिरता के वातावरण में, विमुद्रीकरण और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन से जुड़े क्षणिक विघ्नों के बाद, आर्थिक गतिविधियों में जो तेज रिकवरी हुई, उससे 2017-18 के दौरान ऐसे प्रयासों को और अधिक सघन करने के लिए अनुकूल माहौल मिला। इस अति महत्वपूर्ण प्राथमिकता के बीच, वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक ने अपनी विनियामकीय और पर्यवेक्षी नीतियों की समीक्षा तथा इसे परिष्कृत करने की प्रक्रिया को गति दी ताकि डिजिटाइज़ होती अर्थव्यवस्था में वित्तीय मध्यस्थों तक पहुंच की आवश्यकता और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाते हुए बैंकिंग प्रणाली को तेज किया जा सके। वित्तीय समावेशन और ग्राहक सेवा में जारी मौजूदा सुधार भी सहगामी लक्ष्य बने रहे। इस अध्याय में 2017-18 और 2018-19 के दौरान अब तक इन लक्ष्यों के अनुसरण में बैंकिंग प्रणाली में विकसित हुई नीतिगत परिवेश की समीक्षा प्रस्तुत की गई है जिसमें विनियामकीय और पर्यवेक्षी नीतियों पर फोकस रहा है।

III.2 खंड 2 में शेष अध्याय मौद्रिक नीति और चलनिधि स्थिति में हुई गतिविधियों से शुरू होता है क्योंकि उन्होंने वर्ष के दौरान वित्तीय कार्यकलापों को आकार दिया। खंड 3 में विनियामकीय नीतियों को शामिल किया गया है जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) फ्रेमवर्क और साथ ही अन्य प्रयासों तथा चलनिधि जोखिमों के प्रबंधन में हुई प्रगति दर्शाता है। समष्टि विवेकपूर्ण नीतियों की क्षमता का एक प्रायोगिक मूल्यांकन इस खंड की एक विशेष विशेषता है। खंड 4 में बैंकिंग क्षेत्र में व्यवस्थित गतिशीलता और कार्यक्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए प्रयासों को शामिल किया गया है। एक सुव्यवस्थित विनियामकीय नीति तभी प्रभावी होती है जब इसे सक्षम पर्यवेक्षण का साथ मिलता है। पर्यवेक्षी नीतियों से संबंधित गतिविधियां खंड 5 में शामिल की गई हैं जिसमें साइबर सुरक्षा उपाय और धोखाधड़ी रिपोर्टिंग भी शामिल है। हाल के वर्षों में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) तेजी से बढ़ी हैं और रिज़र्व बैंक हमेशा से इस मामले में सचेत रहा है कि इस क्षेत्र की निगरानी और विनियमन मजबूती से किया जाए। ये नीतिगत प्रयास खंड 6 में शामिल किए गए हैं। रिज़र्व बैंक द्वारा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में की गई नीतिगत गतिविधियां जैसे ऋण सुपुर्दगी, वित्तीय समावेशन, उपभोक्ता संरक्षण और भुगतान एवं निपटान प्रणाली खंड 7 से 10 में क्रमशः शामिल किए गए हैं। खंड 11 एक भावी दिशा का आकलन प्रस्तुत करता है।

2. मौद्रिक और चलनिधि प्रबंधन : नीतिगत गतिविधियां

III.3 भारत में बैंकिंग क्षेत्र वित्तीय प्रणाली में अपनी एक प्रमुख स्थिति के कारण मौद्रिक नीति अंतरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2017-18 के दौरान, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने अगस्त 2017 में नीतिगत दरों में 25 आधार अंक की कटौती हेतु मत दिया और इसके बाद नीतिगत दरों के संबंध में पूरे वर्ष यथास्थिति बरकरार रही, क्योंकि मुद्रास्फीति पथ के चारों ओर जोखिम संतुलन अपसाइड हो गया था। आगामी महीनों में इनमें से कई जोखिमों के प्रकट होने के साथ ही, एमपीसी ने दो बार जून और अगस्त 2018 में नीतिगत दरों में प्रत्येक बार 25 आधार अंकों की वृद्धि की। अक्तूबर और दिसंबर 2018 की अपनी बैठक में, एमपीसी ने नीतिगत दर अपरिवर्तित रखा। तथापि, अक्तूबर 2018 की बैठक में मौद्रिक नीति के रूख को तटस्थ रखने की बजाय नपे-तुले अंदाज में कड़ा किया गया। मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप, चलनिधि प्रबंधन परिचालनों में यह प्रयास किया गया कि परिवर्ती दर रिवर्स रिपो नीलामी का प्रयोग करके प्रणालीगत चलनिधि को लगभग संतुलन के आस-पास की स्थिति के अनुसार व्यवस्थित रखा जा सके और जिसमें प्राथमिकता दीर्घ अवधि तथा बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस), नकदी प्रबंधन बिल (सीएमबी)[1] और खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) के तहत जारी प्रतिभूति निर्गमन पर रही। 14-दिवसीय और 7-दिवसीय अवधि के परिवर्ती दर रिवर्स रिपो/रिपो परिचालन घर्षणात्मक चलनिधि अंतर को व्यवस्थित करते रहे। नीतिगत दर कॉरीडोर अप्रैल 2016 के 100 आधार अंक से कम होकर अप्रैल 2017 में 50 आधार अंक हो गया, जिसके बाद मांग मुद्रा बाजार में अस्थिरता में कमी आई - भारित औसत मांग मुद्रा दर (डब्ल्यूएसीआर) का मानक विचलन - जो कि मौद्रिक नीति का परिचालनिक लक्ष्य है- 2016-17 के 0.19 से कम होकर 2017-18 में 0.10 हो गया।

III.4 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, प्रणालीगत चलनिधि स्तर में बारी-बारी से फर्क आया और तदनुसार रिज़र्व बैंक की नीतिगत प्रतिक्रिया भी अलग-अलग रही। 2017-18 की प्रथम तिमाही के दौरान, अतिरिक्त चलनिधि को अवशोषित करने के लिए ₹4.6 ट्रिलियन (रिवर्स रिपो, एमएसएस, सीबीएम) राशि के दैनिक अवशोषण के भाग के रूप में, अप्रैल एवं मई 2017 में बाजार स्थिरीकरण योजना के तहत कुल ₹1 ट्रिलियन के खजाना बिलों (312 दिनों से 329 दिनों की अवधि वाले) की नीलामी की गई। 2017-18 की दूसरी तिमाही में ₹600 बिलियन (जुलाई, अगस्त और सितंबर में प्रत्येक बार ₹200 बिलियन) की खुली बाजार बिक्री के साथ चलनिधि अवशोषण सबसे अधिक रहा। 2017-18 की तीसरी तिमाही में चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत चलनिधि अवशोषण परिचालन को सहारा देते हुए, रिज़र्व बैंक द्वारा स्थायी आधार पर ₹300 बिलियन (अक्तूबर में ₹200 बिलियन और नवंबर में ₹100 बिलियन) की राशि अवशोषित करने के लिए खुला बाजार बिक्री परिचालन किया गया। दिसंबर की दूसरे पक्ष और फिर फरवरी के बाद अग्रिम कर के सामान्य बहिर्वाह के चलते प्रणाली में चलनिधि की अस्थायी रूप से कमी आ गई, जिसे नियमित एलएएफ परिचालन के जरिए संभाला गया, जिसमें वर्ष के अंत में तुलन पत्र समायोजन से जुड़ी चलनिधि अंतर को संतुलित करने के लिए लंबी अवधि (24 से 31 दिन) वाली अतिरिक्त परिवर्ती दर रिपो परिचालन (प्रत्येक ₹250 बिलियन) शामिल है। स्टैंडअलोन प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) को अनुमति दी गई कि वे 28 मार्च 2018 को होने वाली नीलामी में सहभागिता करें।

III.5 वर्ष 2018-19 के दौरान, चलनिधि परिस्थितियां पहली तिमाही में मोटे तौर पर अधिशेष की स्थिति में रहीं और दूसरी तिमाही में बीच-बीच में कमी की स्थिति बनी रही। तीसरी तिमाही में भी संचलन में मुद्रा (सीआईसी) में तीव्र वृद्धि और रिज़र्व बैंक द्वारा किए गये विदेशी मुद्रा परिचालनों के कारण कमी की स्थिति (19 दिसंबर 2018 तक) बनी रही। अधिशेष चलनिधि की स्थिति को विभिन्न अवधियों वाले एलएएफ

[1] सीएमबी अल्पावधि के मुद्रा बाजार लिखत हैं जो केंद्र सरकार की अस्थायी नकदी प्रवाह अंतर को दूर करने में मदद करने के प्रयोजन से रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार की ओर से जारी किए जाते हैं।

परिवर्ती दर रिवर्स रिपो नीलामियों के जरिए संभाल गया। चलनिधि में कमी की स्थिति को कम करने के लिए 1 से 56 दिन की परिपक्वता अवधि वाले परिवर्ती दर रिपो उपयोग किए गए। रिज़र्व बैंक ने अप्रैल-नवंबर 2018 के दौरान ओएमओ खरीद के जरिए ₹1.36 ट्रिलियन राशि की स्थायी चलनिधि का अंतर्वेशन किया। दिसंबर महीने में, ओएमओ खरीद के जरिए और ₹500 बिलियन राशि के चलनिधि अंतर्वेशन की घोषणा की गई, जिसमें से 19 दिसंबर 2018 तक ₹200 बिलियन राशि का पहले ही अंतर्वेशन किया जा चुका है।

3. विनियामकीय नीतियां

III.6 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, महत्वपूर्ण नीतिगत प्रयासों से दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए एक संशोधित फ्रेमवर्क सामने आया। रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए अन्य विनियामकीय प्रयासों में अन्य बातों के साथ-साथ चलनिधि जोखिम प्रबंधन को क्रमिक रूप से अंतरराष्ट्रीय मानकों के समनुरूप लाने और सहकारी बैंकिंग प्रणाली को समावेशी बैंक ऋण के माध्यम के रूप में सुदृढ़ करने जैसे उपायों सहित विभिन्न उपाय शामिल हैं जिनके दूरगामी परिणाम होंगे।

3.1 दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान

III.7 वर्ष 2017 में आईबीसी, 2016 का अधिनियमन और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन भारत में वित्तीय दबाव के समाधान के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक घटना रही, जिसने उधारदाताओं को मुश्किलों वाली वित्तीय आस्तियों से एक पारदर्शी और समय-बद्ध तरीके से निपटने में समक्ष बनाया (बॉक्स III.1)।

बॉक्स III.1 : दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता – अब तक प्रभाव

मई 2016 में लायी गयी आईबीसी को भारत में एनपीए के समाधान की दिशा में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाले कदम के रूप में देखा गया है क्योंकि सभी हितधारकों के हितों में संतुलन बनाते हुए और उद्यमिता तथा ऋण की उपलब्धता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह दिवालियेपन के समाधान हेतु एक फ्रेमवर्क (180 दिनों में जिसे 90 दिन और बढ़ाया जा सकता है) उपलब्ध कराती है। आईबीसी ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह बदल कर रख दिया है जहाँ लेनदार, चूककर्ता देनदारों की आस्तियों पर नियंत्रण कर लेता है जबकि पहले की व्यवस्था में समाधान या परिसमापन होने तक आस्तियों पर देनदारों का नियंत्रण बना रहता था।

इस संबंध में अब तक का अनुभव उत्साहवर्धक रहा है, क्योंकि आईबीसी ने कुछ बड़े कॉर्पोरेट देनदारों के संबंध में समाधान उपलब्ध कराया है। कच्चे आंकड़े बताते हैं कि परिसमापन द्वारा खत्म होने वाले मामलों की संख्या समाधान योजना द्वारा खत्म होनेवालों की संख्या से चार गुनी अधिक थी (सारणी 1)। तथापि, एक बारीक विश्लेषण बताता है कि परिसमापन द्वारा बंद किए गए तीन चौथाई से अधिक मामले (212 में से 163) पहले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीएफआई) के तहत थे या निष्क्रिय थे या दोनों प्रकार की स्थितियों में थे और इस प्रकार इन मामलों के आईबीसी के पास पहुंचने से पहले ही इनमें से ज्यादातर आस्तियों का आंतरिक मूल्य पहले ही खत्म हो चुका था। लंबे समय तक, देनदारों के लिए जहां उपक्रम के पुनरुत्थान की गुंजाइश कम हो तथा परिसमापन मूल्य समाधान मूल्य से

सारणी 1: कॉर्पोरेट शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी)

तिमाही	तिमाही के प्रारंभ में सीआईआरपी की संख्या	स्वीकृत	समापन का माध्यम			तिमाही के अंत में समाधान की प्रक्रिया से गुजर रहे कॉर्पोरेटों की संख्या
			अपील / समीक्षा	समाधान योजना की मंजूरी	परिसमापन की शुरुआत	
जन-मार्च, 2017	0	37	1	0	0	36
अप्रै-जून, 2017	36	129	8	0	0	157
जुला-सितं, 2017	157	231	15	2	8	363
अक्तू-दिसं, 2017	363	147	33	8	24	445
जन-मार्च, 2018	445	194	14	13	57	555
अप्रै-जून, 2018	555	244	18	11	47	723
जुला-सितं, 2018	723	216	29	18	76	816
कुल	--	**1,198**	**118**	**52**	**212**	**816**

स्रोत : भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) न्यूज़लेटर।

(जारी...)

चार्ट 1: विभिन्न हितधारकों द्वारा कॉर्पोरेट शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया का प्रारंभ

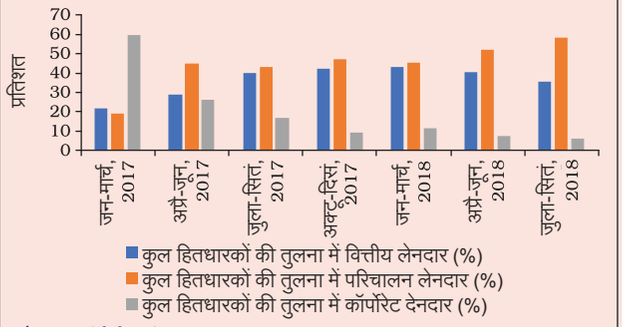

स्रोत : आईबीबीआई।

चार्ट 2: वित्तीय लेनदारों को प्राप्त मूल्य

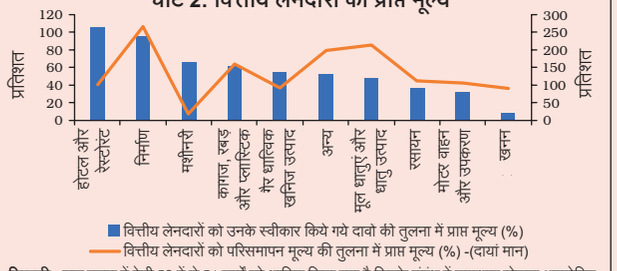

टिप्पणी : उक्त गणना में ऐसी 52 में से 51 फर्मों को शामिल किया गया है जिनके संबंध में समाधान योजना अनुमोदित की गयी थी। एक फर्म के परिसमापन मूल्य और स्वीकृत दावे से जुड़े आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मोटे तौर पर इन 51 फर्मों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है : होटल और रेस्टोरेंट-4 निर्माण-3, मशीनरी-4, कागज, रबड़ और प्लास्टिक-6, गैर धात्विक खनिज उत्पाद-2 अन्य-10, मूल धातुएं और धातु उत्पाद-13 रसायन-3, मोटर वाहन और उपकरण-4 और खनन-2 । विभिन्न क्षेत्रों में कंपनियों का वर्गीकरण राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) 2004 के आधार पर किया गया है और कंपनियों से संबंधित सूचना कैपिटल लाईन प्लस डेटाबेस से प्राप्त हुई है।
स्रोत : आईबीबीआई।

चार्ट 3: विभिन्न तरीकों से वसूली

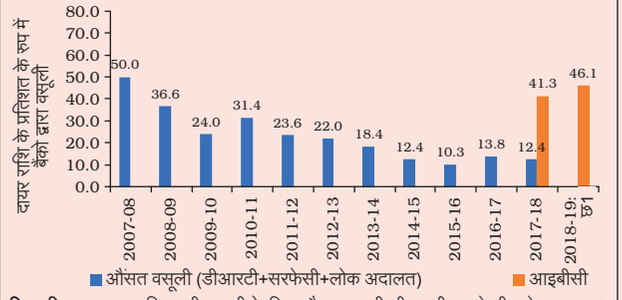

टिप्पणी : 2018-19 की पहली छमाही के लिए औसत वसूली(डीआरटी+सरफेसी+लोक अदालत) के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
स्रोत : आरबीआई और आईबीबीआई।

चार्ट 4: दिवाला समाधान और वसूली

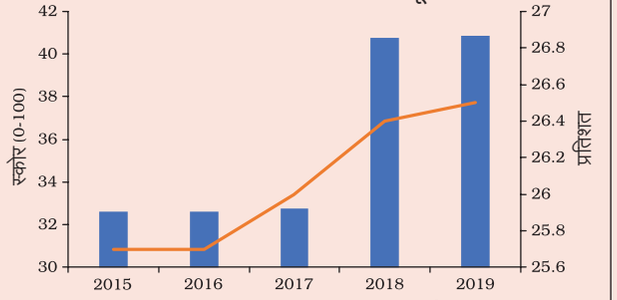

स्रोत : वर्ल्ड बैंक। (www.doingbusiness.org)

अधिक हो, वहां उनके लिए परिसमापन, समाधान का एक सक्षम माध्यम हो सकता है। इस प्रकार, परिसमापन आदेशों की संख्या को स्वयं आईबीसी के प्रतिकूल परिणाम के रूप में देखने की बजाय संसाधनों के सक्षम पुनराबंटन की दिशा में एक प्राकृतिक कदम के रूप में देखा जाना चाहिए।

परिचालनिक लेनदारों ने सबसे अधिक संख्या में सीआईआरपी फाइल की है, जिसके बाद वित्तीय लेनदारों का क्रम आता है। मई 2017 में, रिज़र्व बैंक को अधिकार देने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन किया गया ताकि रिज़र्व बैंक किसी बैंक को किसी प्रकार की चूक होने की स्थिति में आईबीसी फ्रेमवर्क के तहत दिवाला समाधान शुरू करने के लिए निदेश दे सके, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय लेनदारों द्वारा शुरू किए गए मामलों की संख्या में इजाफा हुआ (चार्ट 1)।

वित्तीय लेनदारों को परिसमापन कीमत की औसतन 1.9 गुना राशि प्राप्त हुई है। स्वीकृत दावों की तुलना में प्राप्त मूल्य के अनुपात में अलग-अलग फर्मों और अलग-अलग क्षेत्रों में काफी भिन्नता देखी गयी है (चार्ट 2)।

आईबीसी के पहले मौजूद प्रक्रियातंत्र जैसे वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) और लोक अदालतों के जरिए होने वाली औसत वसूली में कुछ वर्षों से गिरावट देखी जा रही है। आईबीसी के जरिए औसत वसूली इन प्रक्रियातंत्रों के मुकाबले काफी अधिक है और धीरे-धीरे में इसमें इजाफा हो रहा है, जो इस प्रकार के चैनल की कार्यक्षमता और आवश्यकता की ओर इशारा करता है (चार्ट 3)।

इसके चलते, आईबीसी, 2016 की शुरुआत के बाद वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत के दिवाला समाधान स्कोर और वसूली दर में काफी सुधार हुआ है (चार्ट 4)।

इसके साथ ही, जैसे-जैसे आईबीसी प्रक्रिया परिपक्व होती है, कॉर्पोरेट देनदारों द्वारा दायर किए गए मामलों के अनुपात में वृद्धि होने की संभावना है। हाल की अवधि में आईबीसी में कई संशोधन किए गए हैं, जैसे घर खरीददारों को वित्तीय लेनदार का दर्जा देना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमो (एमएसएमई) के समाधान आवेदकों को आईबीसी की धारा 29ए (सी) और (एच) से छूट प्रदान करना ताकि एमएसएमई के मौजूदा प्रमोटरों को समाधान प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति मिल सके। इन संशोधनों से समाधान प्रक्रिया मजबूत होगी और निवेश हेतु संसाधन तैयार हो सकेंगे।

30 सितंबर 2018 की स्थिति के अनुसार, वर्तमान में जारी समाधान प्रक्रिया के लगभग 30 प्रतिशत मामलों में 270 दिन की निर्धारित समय सीमा पार हो गई है। दिवाला समाधान के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने से, जिसमें राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण(एनसीएलटी) की शाखाओं की संख्या में प्रस्तावित वृद्धि करना शामिल है, आईबीसी के अंतर्गत समाधान हेतु वर्तमान में लगने वाले समग्र समय को कम करने में मदद मिलेगी।

संदर्भ :

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड : शोधन अक्षमता और दिवाला समाचार, विभिन्न अंक. https://ibbi.gov.in/publication.html पर उपलब्ध, जिसे 19 अक्तूबर 2018 को लिया गया।

III.8 वर्ष 2017-18 में लिए गए दो महत्वपूर्ण नीतिगत प्रयासों से दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान की प्रक्रिया तेज होने की संभावना है : पहला, रिज़र्व बैंक ने 12 फरवरी 2018 को दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए एक संशोधित फ्रेमवर्क पर दिशानिर्देश जारी किया। इस फ्रेमवर्क, जिसकी धुरी आईबीसी है, ने सभी पिछली समाधान प्रक्रियाओं को हटा दिया और एक ऐसी सुस्थिर स्थिति की ओर कदम बढ़ाया जिसमें सभी हितधारकों द्वारा अधिकतम कीमत वसूली जा सके। जहां एक ओर, इसमें अनर्जक आस्तियों की परिभाषा को अपरिवर्तित रखा गया, वहीं दूसरी ओर इसमें वे विस्तृत सिद्धांत प्रतिपादित किए गए जिनका अनुपालन दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान में किया जाना है और साथ ही इसमें ऐसे स्पष्ट नियम परिभाषित किए गए जिससे यह सुनिश्चित हो कि विश्वसनीय नतीजे निकल पाएं। एक आंतरिक परामर्शदात्री समिति (आईएसी) ने बड़े आकार वाले दबावग्रस्त खातों पर फोकस करते हुए जून 2017 में इन प्रक्रियाओं का मार्गदर्शन किया।

III.9 संशोधित फ्रेमवर्क में, दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए सभी उधारदाता बोर्ड अनुमोदित नीतियां अवश्य निर्धारित करें, जिसमें समयबद्ध समाधान शामिल हो। ऋणों में चूक होने पर दबाव की पहचान तुरंत की जाए, उन्हें विशेष उल्लिखित खातों (एमएमए) के रूप में वर्गीकृत किया जाए। उधारदाता, चाहे अकेले हों या संयुक्त रूप में, चूक होते ही, उसे ठीक करने के लिए तुरंत कदम उठाएं। समाधान योजना (आरपी) किसी भी रूप में हो सकती है-उधारकर्ता संस्था द्वारा सभी अतिदेयों के भुगतान के जरिए खाते नियमित करना; अन्य निवेशकों को एक्सपोजर की बिक्री; स्वामित्व में परिवर्तन; या पुनर्संरचना। ऐसे खाते जिनका कुल एक्सपोजर ₹20 बिलियन और इससे अधिक है, उनमें उधारदाताओं से अपेक्षित है कि वे प्रथम चूक होने की तारीख से 180 दिनों के भीतर एक समाधान योजना को अंतिम रूप दें और इसे कार्यान्वित करें, और ऐसा न करने पर बैंक को इस मामले को आईबीसी के पास भेजना पड़ेगा।

III.10 दूसरा, आईबीसी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2018 है जो 6 जून 2018 को लागू हुआ, में घर खरीदनेवालों और एमएसएमई उद्यमों को राहत दी गई। वित्तीय कर्ज की परिभाषा के दायरे को बढ़ाया गया तथा इसमें किसी रियल इस्टेट परियोजना के तहत किसी आबंटिती से उठाई गई राशि को भी शामिल किया गया और इस प्रकार आबंटिती को एक वित्तीय लेनदार का दर्जा दिया गया। किसी एमएसएमई के प्रवर्तक को उद्योग के लिए बोली लगाने से अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, बशर्ते प्रवर्तक इरादतन चूककर्ता न हो और किसी विशेष प्रकार से अयोग्य न हो। इसमें समाधान आवेदक द्वारा आईबीसी 2016 के तहत किसी आवेदन के स्वीकृत होने के बाद इसे वापस लेने की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। इसमें समाधान प्रक्रिया का अनुमोदन, कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि में विस्तार जैसे सभी प्रमुख निर्णयों के लिए वोटिंग सीमा को 75 प्रतिशत से कम करके 66 प्रतिशत तक और दैनिक निर्णय हेतु 51 प्रतिशत तक किया गया है। आईबीसी, 2016 की मौजूदा धारा 29ए में भी संशोधन किया गया ताकि वित्तीय संस्थाओं को एनपीए की वजह से अयोग्य होने से छूट मिल सके। इसी प्रकार, ऐसा कोई आवेदक जो आईबीसी, 2016 के तहत पूर्व में अर्जित हुए एनपीए के चलते किसी एनपीए का धारक हो, उसे इस प्रकार से हुए अधिग्रहण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए रियायत अवधि प्रदान की गई है, जिसके दौरान समाधान आवेदक को धारा 29ए के तहत अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा।

3.2 चलनिधि और बाजार जोखिम का प्रबंधन

III.11 अन्य देशों के अनुभवों के विपरीत, सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) ने भारत में चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) के सुगम अंगीकरण में एक संतुलित साधन उपलब्ध कराया है। रिज़र्व बैंक ने अनुमति दी है कि 15 जून 2018 से एसएलआर के भीतर निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 13 प्रतिशत तक को लेवल 1 वाली उच्च गुणवत्ता तरल आस्ति (एचक्यूएलए) [सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत एनडीटीएल का 2 प्रतिशत और चलनिधि कवरेज अनुपात (एफएएलएलसीआर) के संबंध में चलनिधि का लाभ लेने की सुविधा के तहत 11 प्रतिशत] के रूप में माना जाए। 1 अक्तूबर 2018 से एफएएलएलसीआर को - अनिवार्य एसएलआर अपेक्षा के भीतर - आगे फिर

एनडीटीएल के 2 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। इस प्रकार, बैंकों को एफएएलएलसीआर के तहत उपलब्ध एसएलआर से कार्व-आउट बढ़कर एनडीटीएल का 15 प्रतिशत तक हो गया। इसके अलावा, जनवरी 2019 से एसएलआर को प्रत्येक तिमाही 25 आधार अंक तक तब तक घटाया जाएगा जब तक कि यह एनडीटीएल के 18 प्रतिशत तक न पहुंच जाए।

III.12 रिज़र्व बैंक ने 19 अक्तूबर 2018 को बैंकों को प्रोत्साहित किया कि वे एनबीएफसी क्षेत्र को उधार दें। बैंक अपने द्वारा धारित सरकारी प्रतिभूति, जो एनबीएफसी और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को दिए जाने वाले उनके वृद्धिशील ऋण के सममूल्य है, का उपयोग लेवल 1 एचक्यूएलए के रूप में कर सकते हैं और यह एफएएलएलसीआर के तहत एसएलआर से कार्व-आउट 15 प्रतिशत के अलावा होगा तथा प्रत्येक बैंक के एनडीटीएल के 0.5 प्रतिशत तक सीमित होगा। गैर-इन्फ्रास्ट्रक्चर एनबीएफसी क्षेत्र में भी बैंकों की एक्सपोजर सीमा पहले के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी गई। इन प्रयासों का लक्ष्य यह था कि एनबीएफसी क्षेत्र में आस्ति-देयता असंतुलन को लेकर जो अस्थायी दिक्कत महसूस की जा रही है, उसमें राहत दी जाए और ये राहत 31 दिसंबर 2018 तक उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा, 2 नवंबर 2018 को रिज़र्व बैंक ने बैंकों को अनुमति दी कि वे प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के पास पंजीकृत एचएफसी द्वारा जारी बॉण्डों में आंशिक क्रेडिट उन्नयन को मंजूरी प्रदान करें ताकि उनकी क्रेडिट रेटिंग में सुधार हो और बॉण्ड बाजार तक उनकी पहुंच बढ़े।

III.13 बैंकों को अनुमति दी गई कि वे 31 दिसंबर 2017, 31 मार्च 2018 और 30 जून 2018 को समाप्त तिमाही के लिए बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस) और ट्रेडिंग हेतु धारित श्रेणियों में किए गए निवेश पर हुई हानियों को बाजार भाव पर दर्शाने (एमटीएम) हेतु प्रावधानीकरण को विस्तृत कर सकते हैं, ताकि सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफलों में तेज वृद्धि के प्रणालीगत प्रभाव को नियंत्रित किया जा सके। जिस तिमाही में हानि हुई थी, उससे शुरू करते हुए प्रावधानीकरण को चार तिमाहियों में बराबर-बराबर बांटा जाएगा। इसके अलावा, सभी बैंकों को सूचित किया गया कि वे भविष्य में प्रतिफल में वृद्धि से हुए जोखिम से निपटने हेतु पर्याप्त बफर तैयार करने के लिए 2018-19 से एक निवेश अस्थिरता रिजर्व (आईएफआर) का निर्माण करें। इस सुविधा को 6 जुलाई 2018 से सहकारी बैंकों तक बढ़ाया गया।

III.14 बैंकों को सूचित किया गया कि राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) के लिए एक वस्तुपरक मूल्यन करें जो 31 दिसंबर 2018 से प्रभावी संप्रेक्षित मूल्यों/प्रतिफलों के आधार पर उनका उचित मूल्य दर्शाए। वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिडेट (एफबीआईएल) को इन सिद्धांतों पर आधारित एसडीएल के उपलब्ध मूल्य निकालने की जिम्मेदारी दी गई है।

III.15 इससे पहले, बैंकों को अनुमति थी कि वे परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में कुल निवेश के 25 प्रतिशत तक की सीमा को पार कर सकते हैं, बशर्ते इस आधिक्य में एलएलआर प्रतिभूति शामिल हो और एचटीएम श्रेणी के तहत धारित कुल एसएलआर प्रतिभूति एनडीटीएल के 20.5 प्रतिशत से अधिक न हो। एचटीएम श्रेणी के तहत एसएलआर धारिता को अनिवार्य एसएलआर के साथ एक सीध में लाने के लिए उच्चतम सीमा को चरणबद्ध तरीके से 20.5 प्रतिशत से घटाकर 19.5 प्रतिशत किया गया, अर्थात् 31 दिसंबर 2017 तक 20 प्रतिशत और 31 मार्च 2018 तक 19.5 प्रतिशत।

3.3 समष्टि विवेकपूर्ण नीतियां

III.16 भारत में, समष्टि विवेकपूर्ण उपाय इस प्रकार किए गए हैं ताकि प्रणालीगत जोखिम के समय-आयाम और साथ ही क्रॉस-सेक्शनल आयाम दोनों नियंत्रित हो सकें। प्रणालीगत जोखिम का समय-आयाम नजदीक से क्रेडिट वृद्धि की प्र-चक्रीयता से जुड़ा हुआ है। दूसरी ओर, क्रॉस-सेक्शनल आयाम वित्तीय प्रणाली के प्रणालीगत जोखिम के वितरण से जुड़ा हुआ है। चूंकि भारतीय वित्तीय प्रणाली मुख्य रूप में बैंकिंग प्रभुत्व वाली रही है, इसलिए समष्टि विवेकपूर्ण उपायों में मुख्य रूप से बैंकिंग क्षेत्र को लक्षित किया गया है, जबकि अन्य विनियमित संस्थाओं को इसके समनुरूप लाने के प्रयास किए जा रहे हैं (बॉक्स III.2)

बॉक्स III.2 : भारत में समष्टि-विवेकपूर्ण नीतियाँ

प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण, विभेदित जोखिम भारों और ऋण-मूल्य अनुपातों (एलटीवी) के रूप में समष्टि-विवेकपूर्ण लिखतों को भारत में वर्ष 2004 विशेष रूप से रिहायशी आवास और वाणिज्यिक भू-संपदा (सीआरई) जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के लिए से लागू किया गया था। रिहायशी आवास, सीआरई, उपभोक्ता ऋण, पूंजी बाजार एक्सपोज़र और नकदी आरक्षित निधि अनुपात (सीआरआर) में मानक आस्तियों के लिए जोखिम भारों और प्रावधानीकरण का उपयोग करते हुए समग्र समष्टि-विवेकपूर्ण नीति (एमपीपी) सूचकांक का निर्माण किया गया ताकि प्रणालीगत जोखिम से बचाव के लिए पहले से किए जाने वाले नीतिगत हस्तक्षेपों को सारांशत: निरूपित किया जा सके (अकिंजी एण्ड ओल्म्स्टेड रामज़े, 2017)। आधार वर्ष 1999-2000 के लिए सभी उपायों को शून्य मान दिया गया है। बाद के वर्षों में यदि कोई नया समष्टि-विवेकपूर्ण उपाय लागू किया जाता है या इसे सख्त बनाया जाता है, तो इसके मान में एक की वृद्धि कर दी जाती है। इसी प्रकार, यदि समष्टि-विवेकपूर्ण उपायों में कोई ढील दी जाती है, तो इसके मान में एक की कमी कर दी जाती है। यदि समष्टि-विवेकपूर्ण उपायों में वर्ष के दौरान कई बार सख्ती करते हैं या ढील देते हैं, तो हर बार मान में एक की वृद्धि या कमी की जाती है। यदि वर्ष के दौरान इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तो सूचकांक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तदुपरांत, एमपीपी सूचकांक तैयार करने के लिए इन अलग-अलग सूचकांकों का क्षैतिज समेकन किया जाता है।

बैंक समूहों को एक पैनल की भांति उपयोग में लाते हुए 1999-2000 से 2016 की अवधि के लिए पैनल वेक्टर ऑटो-रिग्रेशन (वीएआर) से प्राप्त परिणाम संकेत करते हैं कि समष्टि विवेकपूर्ण उपायों में की गयी सख्ती एक वर्ष की देरी (लैग) के साथ क्रेडिट वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डालती है जो कि इस संबंध में लिखे गए साहित्य में बनी आम राय के अनुरूप है (अर्डेम एवं अन्य, 2017; वर्मा, 2018) (सारणी 1)। आवास, सीआरई और उपभोक्ता ऋण जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के मामले में भी ऐसे ही परिणाम प्रामाणिक पाए गए हैं।

एमपीपी सूचकांक को एक मानक विचलन आघात देने का असर क्रेडिट वृद्धि की आवेग प्रतिक्रिया पर चार अवधियों तक नकारात्मक पाया गया। यद्यपि, प्रारंभ में एमपीपी में की जाने वाली सख्ती से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि पर थोड़ा अंकुश लगता है, परंतु पाँच अवधियों के भीतर ही इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है (चार्ट 1)।

चार्ट 1 : समष्टि विवेकपूर्ण आघातों के प्रति क्रेडिट वृद्धि की आवेग प्रतिक्रिया

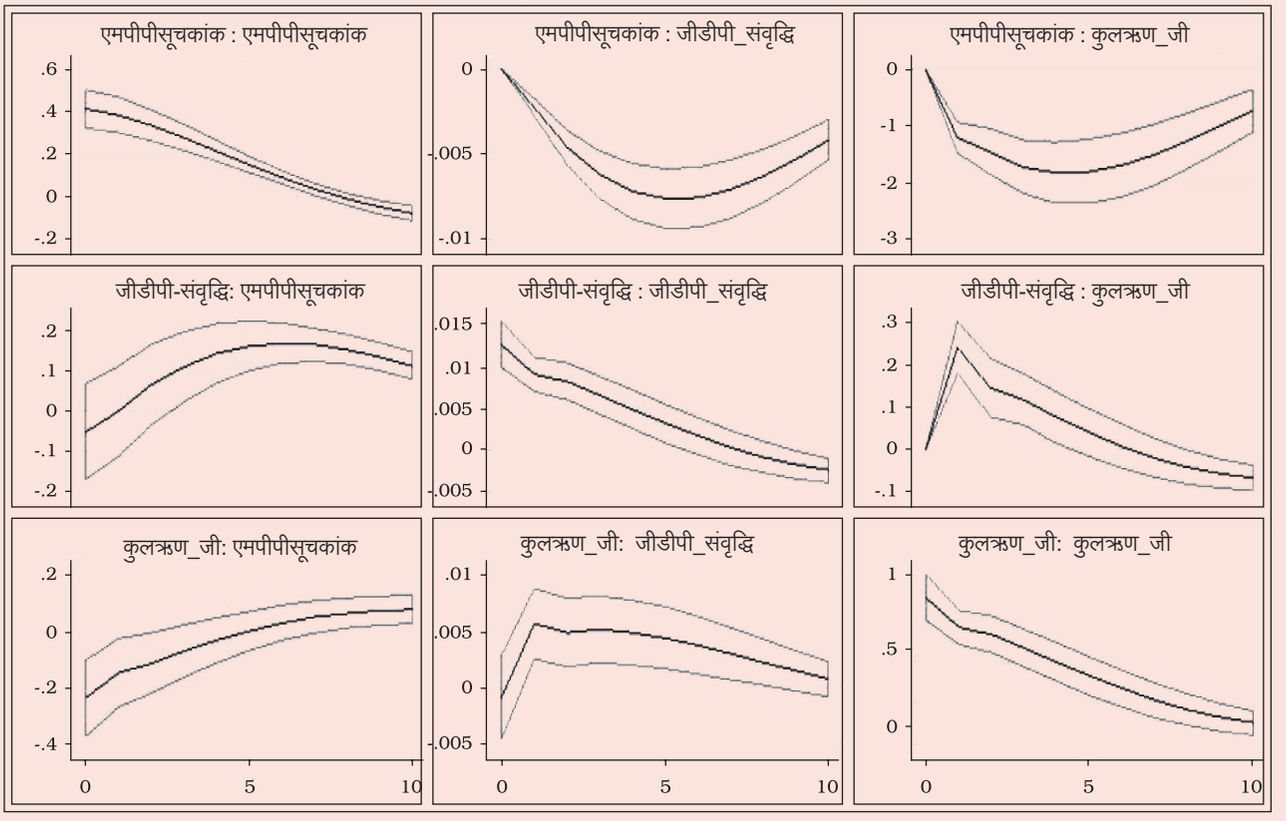

टिप्पणी : दोनों पक्षों में 5% की त्रुटियां हैं, 200 आरईपीएस के साथ मॉन्टे-कॉर्लो सिमुलेशन के माध्यम से प्राप्त।

(जारी...)

सारणी 1 : समष्टि विवेकपूर्ण नीति का प्रभाव
(तीन चरों वाले पैनल वीएआर)

का प्रभाव	पर प्रभाव		
	कुल ऋण वृद्धि (टी-1)	जीडीपी वृद्धि (टी-1)	एलएन (एमपीपी सूचकांक(टी-1))
कुल ऋण वृद्धि (टी-1)	-0.06 (0.096)	17.98*** (0.514)	-0.30*** (0.009)
जीडीपी वृद्धि (टी-1)	0.0078*** (.001)	0.6952*** (.005)	-0.0055*** (.001)
एलएन (एमपीपी सूचकांक (टी-1))	0.1235*** (.022)	3.7632*** (.109)	0.9337*** (.004)
ओब्स की संख्या – 48			

टिप्पणियां : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मानक त्रुटियाँ हैं।
2. ***पी<0.01; **पी<0.05; *पी<0.10.

ईएमई देशों से प्राप्त अनुभव भी इन परिणामों की पुष्टि करते हैं। आवास और सीआरई जैसे क्षेत्रों में क्रेडिट वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किए जाने वाले विभिन्न समष्टि विवेकपूर्ण उपायों में मानक आस्तियों पर जोखिम भार और प्रावधानीकरण ही मुख्य रूप से प्रभावी होते हैं। क्रेडिट चक्र के विभिन्न चरणों पर पड़ने वाले समष्टि विवेकपूर्ण नीतियों के प्रभाव में अरेखीयता पायी जाती है। अंतिम चरण के विश्लेषण में भी यह असमानता अपना असर दिखाती है : समष्टि विवेकपूर्ण उपायों ने तीव्र वृद्धि वाली समयावधियों में कुछेक लक्षित सेक्टरों में क्रेडिट वृद्धि पर लगाम लगाने में सफलता पायी है, परंतु इनमें मंदी की अवधि में क्रेडिट वृद्धि दर को तीव्र करने की क्षमता बहुत कम देखी गयी है।

संदर्भ :

अकिन्जी, ओ. और जेन ओल्मस्टेड-रुमसे, (2017) : 'हाउ इफेक्टिव आर मैक्रोप्रूडेंशियल पॉलिसीज़? ऐन एम्पिरिकल इनवेस्टिगेशन', जर्नल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, वॉल्यूम. 33, पीपी 33-57.

अर्डेएम एफ. पी., ई. ऑज़ेन एण्ड आई. उनाल्मिस (2017) : 'आर मैक्रोप्रूडेंशियल पॉलिसीज़ एफेक्टिव टूल्स टु रिड्यूस क्रेडिट ग्रोथ इन इमर्जिंग मार्केट्स ?' सेंट्रल बैंक ऑफ रिपब्लिक ऑफ टर्की वर्किंग पेपर,17/12.

वर्मा, आर. (2018) : ' इफेक्टिवनेस ऑफ मैक्रो-प्रूडेंशियल पॉलिसीज़ इन इंडिया', इन मैक्रो-प्रूडेंशियल पॉलिसीज़ इन एसईएसीईएन इकोनॉमीज़ (एड. जुन्नू अंसारी), एसईएसीईएन सेंटर, कुआलालंपुर.

4. विशिष्ट बैंकिंग नीतियां

III.17 इन महत्वपूर्ण उपायों के अलावा, 2017-18 में बैंकिंग प्रणाली के विशिष्ट क्षेत्रों में गतिशीलता और दक्षता लाने के लिए कई कदम उठाए गए।

4.1 सहकारी बैंकिंग में सुधार

III.18 रिज़र्व बैंक, शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को विशेषीकृत बैंकिंग मॉडल के साथ मुख्यधारा में लाने के प्रयास में उनके लिए अवसरों में विस्तार कर रहा है। इसी संदर्भ में, एक उच्च स्तरीय समिति (अध्यक्षः श्री आर. गांधी) द्वारा की गई सिफारिश के अनुरूप पात्र यूसीबी को लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) में परिवर्तित होने की अनुमति दी गई। इसके अलावा, 20 अगस्त 2018 से एलएएफ में सहभागिता को अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों तक बढ़ाया गया जो कि कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) में सक्षम हैं और जिनका जोखिम औसत भारित आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) कम से कम 9 प्रतिशत है। सभी अनुसूचित यूसीबी और राज्य सहकारी बैंकों को पात्रता मानदंडों के अधीन सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) तक पहुंच की अनुमति दी गई।

III.19 सभी यूसीबी को अनुमति दी गई कि वे शहरी वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) के साथ पात्र लेन-देन करने के अलावा, द्वितीयक बाजार में गैर-एसएलआर निवेश के अधिग्रहण या बिक्री के लिए पात्र लेनदेन करें। इन प्रयासों का प्रयोजन यह है कि सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में मूल्य निर्धारण में दक्षता लाई जाए और विनियमों को सुसंगत बनाया जाए।

III.20 इसके अलावा, यूसीबी के मामले में ग्राहक देयता निर्धारित करने के मानदंडों के बारे में दिसंबर 2017 में समीक्षा की गई। नए दिशानिर्देशों में प्रणाली एवं प्रक्रिया को मजबूत करने पर फोकस किया गया है और बैंकों एवं ग्राहकों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुरूप ग्राहक देयता साबित करने की जिम्मेदारी यूसीबी की होगी और उन्हें यह भी सूचित किया गया कि वे बोर्ड द्वारा अनुमोदित ग्राहक संबंधी नीतियां निर्धारित या संशोधित करें, जिसमें किसी विशिष्ट परिस्थिति में अनधिकृत लेनदेन के मामले में स्पष्ट रूप से ग्राहक के अधिकार और दायित्वों का वर्णन हो।

III.21 रिज़र्व बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के साथ परामर्श करके, बहु-राज्यीय यूसीबी और महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के तहत पंजीकृत यूसीबी के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट का एक निर्देशात्मक फार्मेट तैयार किया है, ताकि सांविधिक लेखा परीक्षकों और रिज़र्व बैंक के निरीक्षण रिपोर्टों में एनपीए के मूल्यांकन को लेकर आए अंतर की समस्या को ठीक किया जा सके।

III.22 इसके अलावा, यूसीबी में अभिशासन मजबूत करने के दृष्टिकोण से, रिज़र्व बैंक ने जून 2018 में निदेशक मंडल (बीओडी) के अलावा, प्रबंधन मंडल (बीओएम) गठित करने पर मसौदा दिशानिर्देश जारी किए। मौजूदा कानूनी ढांचे के तहत, किसी यूसीबी का बीओडी कार्यकारी और पर्यवेक्षी दोनों भूमिका निभाता है और उस पर यूसीबी के एक सहकारी समिति और एक बैंक दोनों के रूप में उसकी कार्यप्रणाली की निगरानी करने की जिम्मेदारी होती है। इस मसौदा दिशानिर्देश में यह प्रस्ताव किया गया है कि यूसीबी में एक बीओएम निर्मित करने के लिए यूसीबी के उप-नियमों में प्रावधान किया जाए, जिसमें ऐसे सदस्य शामिल हों जिनके पास बैंकिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों का विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव हो।

4.2 विधिक संस्था पहचानकर्ता

III.23 एलईआई जो बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए वित्तीय डेटा प्रणाली की गुणवत्ता और शुद्धता में सुधार लाने का प्रयास करता है, वह 20 अंकों का एक विशेष कोड है जो ऐसी संस्थाओं को दिया जाता है जो किसी वित्तीय लेनदेन में भागीदार होते हैं। भारत में रुपया ब्याज डेरिवेटिव, विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव और क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए काउंटर पर बाजार के प्रतिभागियों हेतु (व्यक्ति से अलग) चरणबद्ध तरीके से जून 2017 से एक विधिक संस्था पहचानकर्ता (एलईआई) कोड शुरू किया गया। इसे बड़े कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए भी लागू किया गया जिनका एक्सपोज़र नवंबर 2017 में ₹500 मिलियन और उससे अधिक था, उनके लिए यह अपेक्षित है कि वे 31 दिसंबर 2019 तक एलईआई कोड प्राप्त कर लें। एलईआई प्रणाली को गैर-डेरिवेटिव वित्तीय बाजारों में भी लागू किया जाएगा। व्यक्तियों के अलावा जो प्रतिभागी रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित बाजारों में लेनदेन करते हैं, जैसेकि सरकारी प्रतिभूति बाजार, मुद्रा बाजार और विदेशी मुद्रा बाजार, उन्हें एलईआई कोड लेना होगा, और यह प्रक्रिया 31 मार्च 2020 तक पूरी हो जायेगी।

4.3 आभासी मुद्रा में कारोबार की मनाही

III.24 रिज़र्व बैंक ने आभासी मुद्रा (वीसी) के उपयोगकर्ताओं, धारकों और इसके कारोबारियों को इससे जुड़े जोखिमों के बारे में बारंबार आगाह किया है। 6 अप्रैल 2018 को रिज़र्व बैंक ने अधिदेश दिया कि इसके द्वारा विनियमित संस्थाएं वीसी में कारोबार नहीं करेंगी और न ही वीसी की सुविधा देने या इसके निपटान के संबंध में कोई सेवा देंगी। ऐसी विनियमित संस्थाएं जो इस प्रकार की सेवाएं मुहैया कराती थीं, उन्हें परिपत्र की तारीख से तीन महीनों के भीतर संबंध समाप्त करने के लिए सूचित किया गया।

4.4 बैंक क्रेडिट के लिए ऋण प्रणाली

III.25 निधि आधारित कार्यशील पूंजी के वित्तपोषण के संबंध में न्यूनतम ऋण घटक के 40 प्रतिशत होने की अनिवार्यता संबंधी 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी होने वाले दिशानिर्देश 5 दिसंबर 2018 को जारी किए गए। जुलाई 2019 से इस स्तर में संशोधन करके इसे 60 प्रतिशत किया जाएगा। बड़े उधारकर्ताओं द्वारा बैंकिंग प्रणाली से लिए गए नकद क्रेडिट के अनाहरित भाग/ओवरड्राफ्ट सीमाओं के लिए 20 प्रतिशत ऋण संपरिवर्तन कारक (सीसीएफ) की अनिवार्यता निर्धारित की गई है जो 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी होगी। इन परिवर्तनों का प्रयोजन यह था कि बड़े उधारकर्ताओं के बीच ऋण अनुशासन बढ़ाया जा सके जो बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी सुविधा का लाभ लेते हैं।

4.5 आईएफएससी – बैंकिंग यूनिट की स्थापना

III.26 रिज़र्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) बैंकिंग यूनिट (आईबीयू) स्थापित करने के

लिए निर्धारित दिशानिर्देशों में संशोधन किया जो 17 मई 2018 से प्रभावी हुए। मूल बैंक से अपेक्षित है कि वह निरंतर आधार पर $ 20 मिलियन की या समतुल्य किसी विदेशी मुद्रा की न्यूनतम पूंजी उपलब्ध कराए। इससे पहले, न्यूनतम पूंजी इसके आबीयू के साथ रखे जाने की अपेक्षा थी, संशोधित दिशानिर्देश में इसे गृह देश के विनियमों के अनुसार मूल स्तर पर रखे जाने की अनुमति प्रदान की गई। विदेशी बैंकों के संदर्भ में, आईबीयू से अपेक्षित है कि वह रिज़र्व बैंक को मूल बैंक से अर्धवार्षिक आधार पर इस बाबत प्राप्त एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे।

4.6 मुद्रा बाजार में भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक

III.27 29 अक्तूबर 2018 को रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया कि भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक (एसएफबी), एससीबी का दर्जा प्राप्त करने के पूर्व ही, देनदार और लेनदार दोनों रूप में कॉल/नोटिस/मीयादी मुद्रा बाजार में सहभागिता करने के पात्र हैं। तथापि, इस प्रकार की प्रतिभागिता उन्हीं विवेकपूर्ण सीमाओं और अन्य दिशानिर्देशों के अधीन होगी, जो इस संबंध में एससीबी के लिये लागू हैं। इस कार्य से इन संस्थाओं की अल्पावधि चलनिधि तक पहुंच हो सकेगी तथा वे परिपक्वता असंतुलन को अधिक प्रभावी ढंग से संभाल सकेंगे।

5. पर्यवेक्षी नीतियां

III.28 वित्तीय स्थिरता प्रहरी और वित्तीय प्रणाली के अग्रणी पर्यवेक्षक के रूप में अपनी भूमिका में, रिज़र्व बैंक वित्तीय संवेदनशीलताओं के प्रारंभिक संकेतों पर निकट दृष्टि बनाए रखता है और स्पिलओवरों को नियंत्रित करने के लिए समयबद्ध नीतिगत उपाय करता है। हाल की अवधि में, पर्यवेक्षी प्रयासों का उद्देश्य आस्ति गुणवत्ता का यथार्थवादी आकलन और वाणिज्यिक बैंकों में पर्याप्त साइबर सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना रहा।

5.1 वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड

III.29 नवंबर 1994 में गठित वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड वित्तीय प्रणाली; जिसमें वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्थाएं और एनबीएफसी भी शामिल हैं; के लिए एक एकीकृत पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। बीएफएस ने वर्ष के दौरान विभिन्न विनियामकीय तथा पर्यवेक्षी नीतिगत मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान किया जिसमें संस्था-विशिष्ट पर्यवेक्षी मुद्दों के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई और प्रवर्तन कार्रवाई करने का ढांचा शामिल है जो विनियमित संस्थाओं के लिए आवश्यक हो सकता है। वर्ष 2017-18 में, बीएफएस द्वारा चर्चा किए गए कुछ प्रमुख मुद्दों में कमजोर वित्तीय स्थिति वाले बैंकों में बहाली लाना, बैंकों में साइबर सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण तथा बैंकों के मुख्य जोखिम अधिकारी तथा मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी की भूमिका पर दिशानिर्देश कवर किए गए। भुगतान बैंकों, लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी), क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी), लघु विदेशी बैंकों, कतिपय अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों से संबंधित कार्यसूची की मदों पर विचार करने के लिए बीएफएस विनियमन, 1994 के अंतर्गत बीएफएस की एक उप-समिति गठित की गई है।

5.2 बैंकिंग धोखाधड़ियां

III.30 मौजूदा दिशानिर्देशों में बैंकों से अपेक्षित है कि वे बैंक धोखाधड़ियों में शामिल वकीलों, सनदी लेखाकारों, मूल्यांकनकर्ताओं और आर्किटेक्टों जैसी तृतीय पक्ष संस्थाओं (टीपीई) के नाम भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को रिपोर्ट करें जो बाद में बैंकों को ऐसे नामों की सतर्कता सूची प्रसारित करेगा। फरवरी 2018 में, आईबीए को सूचित किया गया था कि वे उपयुक्त डेटा सुरक्षा और नियंत्रण उपायों के साथ संवर्द्धित आईटी-समर्थित, उपयोगकर्ता सुगम, वेब आधारित टीपीई रिपोर्टिंग और प्रसार इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। इसके अलावा, विश्वव्यापी अंतर-बैंक

वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी (स्विफ्ट) की प्रणालियों से संबंधित हाल की घटनाओं को देखते हुए, बैंकों को समयबद्ध[2] तरीके में अपनी स्विफ्ट प्रणाली में विभिन्न परिचालनात्मक नियंत्रणों को सुदृढ़ करने के लिए निदेश दिया गया था। बैंकों के आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पद्धतियों तथा धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों की जांच करने के लिए फरवरी 2018 में एक विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष : श्री वाई एच मालेगाम) गठित की गई थी।

5.3 साइबर सुरक्षा निगरानी ढांचा

III.31 साइबर सुरक्षा पर 2017 में गठित अंतर-विषयक स्थायी समिति ने साइबर सुरक्षा से संबंधित मामलों पर रणनीतिक निदेश प्रदान किए तथा कार्ड आधारित भुगतानों, मोबाइल बैंकिंग और वेंडर जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र के मुद्दों की जांच की। वित्तीय क्षेत्र के लिए साइबर सुरक्षा के महत्व को पहचानते हुए, बैंकों में साइबर सुरक्षा की तैयारियों के स्तर का आकलन करने हेतु आईटी जांच और संकेंद्रित विषयपरक अध्ययन किए जा रहे हैं। आवधिक साइबर-ड्रिल अभ्यास किए जाते हैं और ऐसे अभ्यासों के परिणामों का मूल्यांकन कर इन्हें बैंकों के साथ साझा किया जाता है जिससे कि वे अपनी घटना प्रबंधन क्षमताओं में सुधार कर सकें। एटीएम सुरक्षा की संवेदनशीलताओं का समाधान करने के लिए, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे मूल इनपुट-आउटपुट प्रणाली (बीआईओएस) पासवर्ड, स्वचालित सुविधा को बंद (डिसेबल) करने और परिचालन प्रणालियों के उन्नयन जैसे सुरक्षा उपाय चरणबद्ध रूप में लागू करें।

III.32 रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए 19 अक्तूबर 2018 को मूल साइबर सुरक्षा ढांचा शुरू किया जिसमें उनके द्वारा बोर्ड-अनुमोदित साइबर सुरक्षा नीति शुरू करना अपेक्षित है जो उनकी आईटी नीति से अलग होगी। इससे शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के बीच प्रौद्योगिकी अपनाने का मानकीकरण होगा और साइबर सुरक्षा उल्लंघनों का प्रभावी समाधान होगा।

6. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

III.33 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अपने कार्यकुशल एवं चपल परिचालनों तथा विशिष्ट क्षेत्रों के लिए आवश्यकता आधारित उत्पाद तैयार करने की बदौलत वित्तीय मध्यस्थता के रूप में बैंकों के पूरक रहे हैं। हाल के वर्षों में उनके तीव्र विस्तार को देखते हुए, उनके विनियमन और पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करने की जरूरत महसूस की गई है। रिज़र्व बैंक आवश्यकतानुसार एनबीएफसी के अमुक वर्ग जैसे मूल निवेश कंपनियों एवं पारंपरिक एनबीएफसी के लिए विशिष्ट नीतिगत उपाय शुरू करने के जरिए एनबीएफसी के विभिन्न वर्गों की विनियामकीय आवश्यकताओं को सुसंगत बनाने का प्रयास कर रहा है।

6.1 सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी

III.34 वर्ष 2017-18 में, रिज़र्व बैंक ने सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी एवं निजी स्वामित्व वाली एनबीएफसी की विनियामकीय आवश्यकताओं में समरूपता लायी है। सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी को 31 मार्च 2019 तक आय निर्धारण, प्रावधानीकरण मानदंडों, कॉर्पोरेट गवर्नेन्स, कारोबारी विनियमों के संचालन, जमा निदेशों और आरक्षित निधियों से संबंधित सभी विनियमों का पालन करना होगा। आस्ति वर्गीकरण मानदंडों का 31 मार्च 2020 तक पालन करना होगा और पूंजी पर्याप्तता, लीवरेज, एक्सपोज़र मानदंडों और सांविधिक प्रावधानों को धीरे-धीरे 31 मार्च 2022 तक लागू करना होगा।

6.2 मूल निवेश कंपनियां

III.35 एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत मूल निवेश कंपनियां प्रमुख रूप से सामूहिक कंपनियों में निवेश करती हैं और किसी अन्य एनबीएफसी गतिविधि में शामिल नहीं होती हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी निवल आस्तियों के 90 प्रतिशत तक सामूहिक कंपनियों के इक्विटी शेयरों, अधिमानी शेयरों, बॉन्डों, डिबेंचरों, कर्ज या ऋणों में निवेश करें, जबकि सामूहिक कंपनियों में इक्विटी निवेश निवल आस्तियों का कम

[2] हाल ही में एक बड़ी राशि की धोखाधड़ी आंशिक रूप से स्विफ्ट प्रणाली के कोर बैंकिंग प्रणाली के साथ एकजुट नहीं होने के कारण उत्पन्न हुई। स्विफ्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर के इस प्रकार दुर्भावना पूर्ण उपयोग से उत्पन्न जोखिम हमेशा से बैंको के परिचालनगत जोखिम का एक घटक रहा है और रिज़र्व बैंक ने उन्हे पर्याप्त सुरक्षा उपाय लागू करने के लिए दृढ़तापूर्वक चेतावनी दी थी और अगस्त 2016 से कम-से-कम तीन अवसरों पर उन्हें सूचित भी किया था।

से कम 60 प्रतिशत होना चाहिए। इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट (आईएनवीआईटी) में निवेश के जरिए इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक में एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत मूल निवेश कंपनियों को आईएनवीआईटी के निर्गमों के लिए प्रयोजकों के रूप में कार्य करने और सामूहिक कंपनियों में इक्विटी निवेशों के लिए 60 प्रतिशत की उप-सीमा के भाग के रूप में आईएनवीआईटी यूनिटों की धारिता की गणना करने की अनुमति दी गई थी। मूल निवेश कंपनियों का आईएनवीआईटी में एक्सपोज़र प्रयोजकों के रूप में उनकी धारिताओं तक सीमित हैं।

6.3 एनबीएफसी के लिए विनियामकीय फ्रेमवर्क

III.36 नवंबर 2014 में जारी संशोधित विनियामकीय फ्रेमवर्क के अनुसार, सभी पारंपरिक एनबीएफसी, जिन्हें पहले ₹ 2.5 मिलियन की पूंजी के साथ परिचालन करने की अनुमति दी गई थी, से अपेक्षा की गई थी कि वे 31 मार्च 2016 तक न्यूनतम ₹10 मिलियन की पूंजी लगाएं और 31 मार्च 2017 तक ₹ 20 मिलियन पूंजी लगाएं। बैंक ने पर्यवेक्षी कार्रवाई शुरू की है जिसमें उन एनबीएफसी के पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त करना शामिल है जिन्होंने 31 मार्च 2017 तक न्यूनतम निर्धारित निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) हासिल नहीं की है।

6.4 एसपीडी की गतिविधियों में विविधता

III.37 रिज़र्व बैंक ने एसपीडी को अपने विदेशी पोर्टफोलिओ निवेश (एफपीआई) ग्राहकों को व्यापक सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी। 27 जुलाई 2018 से उन्हें अपने एफपीआई ग्राहकों को विदेशी विनियम उत्पाद प्रदान करने की अनुमति दी गई है। ये गतिविधियां एसपीडी की गैर-प्रमुख गतिविधियों का भाग होंगी और उन्हें निदेश दिया गया है कि वे मौजूदा विवेकपूर्ण और अन्य विनियमों का पालन करें।

6.5 एनबीएफसी का प्रतिभूति लेनदेन

III.38 एनबीएफसी को उनकी पात्र आस्तियां के प्रतिभूतिकरण/ भार अंकित करने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, 5 वर्षों से अधिक की वास्तविक परिपक्वता वाले एनबीएफसी के ऋणों के प्रतिभूतिकरण के लिए न्यूनतम धारिता अवधि (एमएचपी) में 29 नवंबर 2018 से छह माह की छूट दी गई है, जिस पर कतिपय शर्तें लागू होंगी।

7. ऋण सुपुर्दगी

III.39 ऋण बाज़ारों में असममिति सूचना एवं समभाजन (राशनिंग) की आशंका को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने 2017-18 में अनेक नीतिगत उपाय किए ताकि उन क्षेत्रों को बैंक ऋण उपलब्ध हो सके जो अपवर्जन/प्राइसिंग आउट के प्रति संवेदनशील हैं। एमएसएमई पर एवं प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था ताकि लाभप्रद प्रयोजनों के लिए ऋण प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके।

7.1 एमएसएमई क्षेत्र को औपचारिक रूप देना

III.40 औपचारिक वित्तीय प्रणाली में एमएसएमई के रूपांतरण को बढ़ावा देने के लिए, इस रूपांतरण में नकदी प्रवाह समस्याओं का निवारण करते हुए, फरवरी 2018 में दिशानिर्देश जारी किए गए थे। जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई में मानक आस्तियों (देयता के 180 दिन बाद वाले मापदंड) के रूप में बैंकों और एनबीएफसी के एक्सपोज़र का वर्गीकरण बना रहा, बशर्ते कतिपय शर्तें पूरी की जाएं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी शामिल है कि उधारकर्ता का समग्र एक्सपोज़र 31 जनवरी 2018 को ₹ 250 मिलियन से अधिक न हो और उधारकर्ता के खाते को 31 अगस्त 2017 को मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया हो। जून 2018 में यह रियायत विनिर्दिष्ट सीमा तक की समग्र ऋण सुविधाओं वाले सभी एमएसएमई को दी गई थी, जिसमें जीएसटी के अंतर्गत गैर पंजीकृत एमएसएमई भी शामिल हैं। 01 जनवरी 2019 से जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई द्वारा देय बकाया के संबंध में, देयता के 180 दिन बाद वाले मापदंड को चरणबद्ध रूप से देयता के 90 दिन बाद वाले वर्तमान एनपीए मापदंड की तर्ज पर लाया जाएगा। 31 दिसंबर 2018 की स्थिति के अनुसार जीएसटी के अंतर्गत गैर पंजीकृत एमएसएमई खातों पर 1 जनवरी 2019 से 90 दिन का एनपीए मापदंड लागू होगा।

7.2 बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को संयुक्त रूप से ऋण प्रदान करना

III.41 एससीबी (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और एसएफबी को छोड़कर) को एनबीएफसी-एनडी-एसआई के साथ मिलकर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण संवितरण के लिए एक प्रतिस्पर्धी वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पात्र प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र आस्तियों के सृजन के लिए संयुक्त रूप से ऋण प्रदान करने की अनुमति दी गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत दोनों ऋणदाताओं द्वारा सुविधा प्रदान करने के स्तर पर संयुक्त रूप से ऋण प्रदान करना और अपने-अपने कारोबारी उद्देश्यों में समुचित तालमेल बिठाते हुए जोखिमों एवं प्रतिफलों में सहभागी होना शामिल है।

7.3 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार के लिए दिशानिर्देश और किफायती आवास

III.42 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार के लिए पात्रता हेतु आवास ऋण सीमाएं महानगरीय केंद्रों (एक मिलियन या इससे अधिक आबादी) में ₹2.8 मिलियन से बढ़ाकर ₹3.5 मिलियन तथा अन्य केंद्रों में ₹2 मिलियन से बढ़ाकर ₹2.5 मिलियन कर दी गई हैं ताकि आवास ऋण और प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के अंतर्गत किफायती आवास योजना से संबंधित पीएसएल दिशानिर्देश आपस में ताल-मेल बैठा सकें। महानगरीय केंद्रों तथा अन्य केंद्रों में आवासीय इकाई की कुल लागत क्रमशः ₹4.5 मिलियन और ₹3 मिलियन से अधिक नहीं होनी चाहिए।

7.4 शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार

III.43 10 मई 2018 को यूसीबी के प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) नियमों को एससीबी के इन नियमों के समरूप बनाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे। तदनुसार, मध्यम आकार वाले उद्यम, सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और नवीकरणीय ऊर्जा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंग होंगे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि के बीच के अंतर को समाप्त कर दिया गया है। साथ ही, खाद्य और एग्रो-प्रोसेसिंग यूनिटों को दिया जाने वाला बैंक ऋण कृषि को दिए जाने वाले पीएसएल में शामिल होंगे। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों की प्राप्ति किसी यूसीबी को वित्तीय रूप से सुदृढ़ और सुप्रबंधित (एफएसडब्ल्यूएम) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए मापदंड के रूप में शामिल की जाएगी।

8. वित्तीय समावेशन

III.44 वित्तीय समावेशन से उत्पन्न होने वाले संभावित लाभ के संबंध में बढ़ते अनुभवजन्य प्रमाणों से पता चलता है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण संबंधी प्रावधान करने एवं बचत के लिए अवसर उपलब्ध कराने के अपने प्रारंभिक एजेंडा से आगे बढ़कर अब लेनदेन, भुगतान और बीमा सहित बड़ी मात्रा में विविध सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है, ताकि समाज के वित्तीय रूप से सुविधाहीन वर्ग को वित्त के अनौपचारिक स्रोतों एवं तत्संबंधी बाध्यकारी प्रथाओं से दूर रखा जा सके। वर्ष के दौरान व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) और अग्रणी बैंक योजना जैसी मौजूदा योजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए कदम भी उठाए गए जिससे कि वे वित्तीय शिक्षण और वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन में डिजिटल वित्तीय सेवाओं का लाभ उठा सकें।

8.1 व्यवसाय प्रतिनिधियों का रजिस्ट्री पोर्टल

III.45 ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच में विस्तार करने में व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) की भूमिका को स्वीकृति और पहचान मिल रही है जो बीसी द्वारा सूचना और कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी चैनल के जरिए लेनदेनों की संख्या में 28 प्रतिशत की वृद्धि से पता चलता है। रिज़र्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए फ्रेमवर्क के आधार पर आईबीए द्वारा विकसित रजिस्ट्री पोर्टल को फरवरी 2018 में लागू किया गया ताकि बैंक उसके द्वारा नियोजित बीसी से जुड़े डेटा अपलोड कर सकें। उम्मीद की जाती है कि जैसे ही पोर्टल जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाएगा, जनता को बीसी की उपलब्धता और उनके संपर्क ब्यौरों की जानकारी से अवगत कराया जाएगा।

8.2 अग्रणी बैंक योजना

III.46 अग्रणी बैंक योजना (एलबीएस) का लक्ष्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र में बैंक वित्त का प्रवाह बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास में बैंकों और सरकारी एजेंसियों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना है। प्रणाली की क्षमता का अध्ययन करने के लिए गठित रिज़र्व बैंक की कार्यपालक निदेशक समिति ने इस संबंध में कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। विभिन्न जोखिमधारकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2018 में योजना में सुधार करने के उद्देश्य से दिशानिर्देश जारी किए। राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) को नीतिगत मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जबकि दैनिक मुद्दे विशिष्ट समिति को सौंपे जा सकते हैं। अग्रणी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अग्रणी जिला प्रबंधकों (एलडीएम) के लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएं ताकि वे कुशलता से कार्य कर सकें।

9. उपभोक्ता संरक्षण

III.47 रिज़र्व बैंक मौजूदा अपर्याप्त सुविधाओं को दूर कर, बैंकों में ग्राहक सेवा को बेहतर करने एवं बदलाव लाने के लिए प्रौद्योगिकीय विकास तथा उचित प्रोत्साहन का उपयोग करते हुए समयबद्धता और गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के सापेक्ष एक मानदंड स्थापित करने की जरूरत में सक्रिय रूप से लगा हुआ है।

9.1 लोकपाल योजना

III.48 बैंकिंग लोकपाल योजना एक नि:शुल्क शीर्ष व्यवस्था है जो बैंक ग्राहकों की शिकायतों का तेजी से समाधान करती है। इसी तर्ज पर, एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल के तहत 23 फरवरी 2018 से एनबीएफसी पर लागू की गई। प्रारंभिक तौर पर यह योजना जमाराशि स्वीकार करने वाली सभी एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी) के लिए शुरू की गई। एनबीएफसी लोकपाल के कार्यालयों ने चेन्नै, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली से कार्य शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त, देश में डिजिटल माध्यम से किए जाने वाले वित्तीय लेनदेन के जोर पकड़ने की वजह से भविष्य में डिजिटल लेनदेनों के लिए एक समर्पित लोकपाल योजना लागू की जाएगी।

9.2 आंतरिक लोकपाल योजना, 2018

III.49 रिज़र्व बैंक ने चुनिंदा एससीबी के लिए वर्ष 2015 में आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने के निर्देश दिए थे। इनकी समीक्षा की गई और संशोधित निर्देश 3 सितंबर 2018 को बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 35ए के तहत आंतरिक लोकपाल योजना, 2018 के रुप में जारी किए गये। यह योजना भारत में दस से अधिक बैंकिंग आउटलेट वाले सभी एससीबी (आरआरबी को छोड़कर) पर लागू है। उम्मीद की जाती है कि यह आंतरिक लोकपाल की स्वायत्तता को बढ़ाने के जरिए बैंकों में मौजूदा शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत करेगा।

9.3 प्री-पेड भुगतान लिखतों के उपयोगकर्ताओं के लिए ग्राहक सुरक्षा

III.50 जहां तक ग्राहकों द्वारा किए गए इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों का संबंध है, उन सभी ग्राहकों को समान स्तर पर लाने के उद्देश्य से बैंकों और क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली एनबीएफसी के अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों के संबंध में ग्राहक की देयता को सीमित करने के विषय में रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देश अन्य निकायों द्वारा जारी किए गए प्री-पेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) के उपयोगकर्ताओं पर भी लागू किए जाएंगे जो उन पर वर्तमान में लागू नहीं है।

10. भुगतान और निपटान प्रणालियां

III.51 सक्षम भुगतान और निपटान प्रणाली आधुनिक वित्तीय प्रणाली की आधारशिला है। रिज़र्व बैंक को भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली की निगरानी करने का दायित्व सौंपा

गया है और यह देश में निरापद, सुरक्षित, मजबूत, सुलभ तथा प्राधिकृत भुगतान प्रणाली सुनिश्चित करने में एक प्रेरक विकासात्मक शक्ति भी है। इस क्षेत्र में इसके प्रयासों में तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) और एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) का दायरा और विशेषता बढ़ाना शामिल था। वर्ष के दौरान पीपीआई जारीकर्ताओं के कार्यों के विषय में व्यापक निर्देश भी जारी किए गए थे।

10.1 आवक विप्रेषण और यूपीआई

III.52 प्रारंभ में विदेशी आवक विप्रेषण के अंतिम लाभार्थी के खाते में आरटीजीएस एवं एनईएफटी के माध्यम से ही जमा की अनुमति प्राप्त थी और दिसंबर 2013 में तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) को अनुमति प्रदान की गई, बशर्ते विप्रेषण की पूरी शृंखला का लेखा सत्यापन सुरक्षित रखा जाए और ऐसे अंतरण केवल केवाईसी अनुपालित खातों में हों तथा बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों का पालन किया जाए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को 9 मई 2018 से आईएमपीएस तथा एनईएफटी के माध्यम से घरेलू चरण की प्रॉसेसिंग के लिए यथा लागू समान शर्तों का पालन करते हुए यूपीआई के माध्यम से विदेशी आवक विप्रेषणों के घरेलू चरण को प्रोसेस करने की अनुमति दी गई।

10.2 यूपीआई में निर्गमकर्ता के रूप में सहकारी बैंक

III.53 एसटीसीबी और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को एनपीसीआई द्वारा समर्थित उप-सदस्यता मार्ग के जरिए मार्च 2018 से यूपीआई में निर्गमकर्ता के रूप में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई है। यह सहभागिता इस शर्त के अधीन है कि इन बैंकों को मोबाइल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए रिज़र्व बैंक से अनुमति प्राप्त हो।

10.3 डेबिट कार्डों के लिए व्यापारी छूट दर

III.54 डेबिट कार्डों के लिए व्यापारी छूट दर (एमडीआर) फ्रेमवर्क को 1 जनवरी 2018 से युक्तिसंगत बनाया गया। नए एमडीआर फ्रेमवर्क में व्यापक रूप में व्यापारियों, विशेषकर छोटे व्यापारियों द्वारा डेबिट कार्ड स्वीकृति को बढ़ावा देने और साथ ही शामिल संस्थाओं के कारोबार की संवहनीयता सुनिश्चित करने के दोहरे उद्देश्यों को हासिल करने का प्रयास किया गया है। यह फ्रेमवर्क टर्नओवर के आधार पर व्यापारियों को श्रेणीबद्ध करता है, क्यूआर-कोड आधारित लेनदेनों के लिए विभेदक एमडीआर अपनाता है और कार्ड प्रस्तुत करके तथा कार्ड प्रस्तुत न करके किए जाने वाले लेनदेनों के लिए अधिकतम अनुमेय एमडीआर पर उच्चतम सीमा विनिर्दिष्ट करता है। बैंकों से यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि उनके मर्चेंट डेबिट कार्डों के जरिए भुगतान स्वीकार करते समय एमडीआर प्रभार ग्राहकों से न वसूला जाए।

10.4 प्री-पेड भुगतान लिखतों में अंतर-परिचालनीयता

III.55 रिज़र्व बैंक ने 16 अक्तूबर 2018 से कार्ड नेटवर्कों और यूपीआई के माध्यम से पीपीआई की अंतर परिचालनीयता के कार्यान्वयन हेतु फ्रेमवर्क स्थापित किया है। अंतर-परिचालनीयता पीपीआई निर्गमकर्ताओं, प्रणाली प्रदाताओं और प्रणाली सहभागियों को अनुमति देती है कि वे बहु प्रणालियों में सहभागिता किए बिना सभी प्रणालियों में भुगतान शुरू करें, समाशोधित करें और उसका निपटान करें।

10.6 केंद्रीय प्रतिपक्षकारों के लिए निदेश

III.56 रिज़र्व बैंक ने 15 अक्तूबर 2018 को विदेशी केंद्रीय प्रतिपक्षकारों (सीसीपी) की पहचान के लिए नीतिगत फ्रेमवर्क शुरू किया है और सभी सीसीपी के लिए पूंजीगत आवश्यकता तथा गवर्नेन्स फ्रेमवर्क के संबंध में निदेश जारी किए हैं। इस निदेश में गवर्नेन्स संबंधी व्यापक सिद्धांतों को शामिल

किया गया है जिसमें बोर्ड की संरचना, बोर्ड की भूमिका और उत्तरदायित्व, निदेशकों की नियुक्ति तथा समितियों का गठन भी सम्मिलित है। यह सीसीपी के लिए निवल मालियत अपेक्षाएं और स्वामित्व संरचना भी निर्धारित करता है।

11. समग्र आकलन

III.57 आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए एक सुदृढ़ और लचीली वित्तीय प्रणाली अनिवार्य शर्त है, जिसमें उसके समाज के व्यापक वर्गों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लाभ में समान हिस्सेदारी होती है। वर्ष 2017-18 और 2018-19 में अब तक हुई प्रगति उन निरंतर प्रयासों की ओर संकेत करती है जो वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने और इसे मजबूत बनाने के लिए जोर पकड़ी रही है। भविष्य की ओर देखें तो ऋण चक्र मजबूत होता दिखता है क्योंकि रिज़र्व बैंक ने दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए जो प्रयास किया है उससे बैंकों के तुलन-पत्रों को दुरुस्त करने की प्रक्रिया में तेजी आई है। इस अभियान को आगे बढ़ाने में नीतिगत उपायों की जरूरत होगी जो जोखिम प्रबंधन पद्धतियों को सुलझाएंगी, बैंकिंग के बदलते स्वरूप- विशेषकर प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग, विनियमन में स्वामित्व तटस्थता तथा सुदृढ़ कॉर्पोरेट गवर्नेन्स का समाधान करेंगी जिससे कि समावेशी और सुदृढ़ बैंकिंग क्षेत्र सक्षम रूप से समष्टि-आर्थिक स्थिरता के परिवेश में संधारणीय उच्च वृद्धि की वित्तपोषण आवश्यकताओं में मध्यस्थता कर सके।